

72
अति. सं. आयुक्त
बारा

21/5/24

प्राप्त की गई है। आभिजातक अपीलीट रूढ़
नहीं है। इसके आभिजातक भी उलम चंद यथेष्टता
आरक्षित। अपीलीट एवं उनके आभिजातक को
2-3 बार अपाज दिलायी गयी, लेकिन
कोई उपास्वित नहीं हुआ। अन्ततः अग्रय
समाप्ति से पूर्व अन्ततः के पुनः अपीलीट
एवं उनके आभिजातक को अपाज दिलायी
गयी, लेकिन कोई उपास्वित नहीं हुआ। अतः
अपील अग्रय हाजरी अग्र चंकी अपीलीट के
आरक्षित की जाती है। प्राप्त की गयी है। अतः
अपील एवं आभिजातक आरक्षित अन्ततः।

C.No.

97/2022

31
अति. सं. आयुक्त
बारा